राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साधिकार प्रकाशित
Published by Authority
भाद्र 15, शुक्रवार, शाके 1941–सितम्बर 6, 2019
Bhadra 15, Friday, Saka 1941–September 6, 2019

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

प्रशासनिक सुधार विभाग

(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 22, 2019

जीएसआर 16 :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.- राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''फीस दी जायेगी।'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''फीस दी जायेगी या लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से संदत्त ऐसी फीस की समुचित रसीद दी जायेगी, यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 4 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 4 में,-

(i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में फीस'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में या यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है तो लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप-नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में फीस'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में या यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है तो लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(एफ 2084) प्रसु/सूअप्र/2009)

रविशंकर श्रीवास्तव,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT
(RIGHT TO INFORMATION CELL)
NOTIFICATION

JAIPUR, August 22, 2019

GSR 16. In exercise of the powers conferred by section 27 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act No. 22 of 2005), the State Government hereby makes the following rules further to amemd the Rajasthan Right to Information Rules, 2005, namely:-

1. **Short title and Commencement.–** (1) These rules may be called the Rajasthan Right to Information (Amendment), Rules 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazzette.

2. **Amendment of rule 3.–** In rule 3 of the Rajasthan Right to Information Rules, 2005, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "payable to the public authority.", the expression "payable to the public authority or proper receipt of such fees paid by electronic means to the public authority, if facility for receving fees through electronic means is available with the public authority." shall be substituted.

3. Amendment of rule 4.– In rule 4 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1), for the existing expression "payable to the public authority", the expression "payable to the public authority or by electronic means to the public authority, if facility for receving fees through electronic means is available with the public authority." shall be substituted.

(ii) in sub-rule (2), for the existing expression " payable to the public authority", the expression "payable to the public authority or by electronic means to the public authority, if facility for receving fees through electronic means is available with the public authority." shall be substituted.

[No.F 20(84)AR/RTI/2009]
RAVISHANKAR SHRIVASTAVA
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।